

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 9/2013 विस्फोटक अधिनियम 1884

अनवान : कन्हैयालाल पुत्र स्व. गिरधरलाल सेवग पता— कोटगेट, सट्टा बाजार,
बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, बीकानेर ।

—- रेस्पोंडेंट्स


उपस्थित :- श्री ऋषि कुमार
श्री चतुर्भुज

अभिभाषक अपीलांत
सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर
राज्य पक्ष


निर्णय

दिनांक : 22.7.2019


1. यह अपील विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 एफ एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम 121(1) के अन्तर्गत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.201 जिसके द्वारा अपीलांत का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2008 निरस्त किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम से आतिशबाजी (पटाखे) क्रय एवं विक्रय के लिए फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं. 1/2008 जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से जारी शुदा है। अपीलांत का उक्त फायर वर्क्स (पटाखे) विक्रय का अनुज्ञा पत्र दिनांक 31-3-2012 तक जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से नवीनीकृत है। दिनांक 9-10-2012 को रात्रि फड़बाजार में पटाखों की दुकान में आग लगने की घटना को मध्यनजर रखते हुए बीकानेर जिले के सभी स्थाई अनुज्ञा पत्रों के निरीक्षण हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण दलों से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तंग गली, भारी भीड़ वाला क्षेत्र होने, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचने आदि कारणों तथा प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा फायर वर्क्स एसोसियेशन की सहमति अनुसार अपनी पटाखों की दुकान अन्यत्र शिफ्ट करने की सहमति नहीं दिये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 ई एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 से अपीलार्थी का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

- द्वारा वस्फोटक अधिनियम की धारा 6 एफ के तहत यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
 4. अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमो अनुसार लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के पटाखों की दुकान सट्टा बाजार, कोटगेट, बीकानेर पर वर्ष 1998 से अस्थाई एवं वर्ष 2008 से स्थाई लाइसेंस सं० 1/2008 प्राप्त कर आतिशबाजी सामान शादी उत्सव, त्यौहारी सीजन आदि में विक्रय करता आ रहा है। अपीलार्थी अधिकृत क्षमता के अनुसार ही स्टॉक रखता है। यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 में लाइसेंस निरस्त का मुख्य कारण दुकान तंग गली, भारी भीड़वाला क्षेत्र होने व फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच सकने को आधार बनाया गया है। जबकि अपीलान्त की दुकान में दो तरफ दरवाजे हैं तथा एक दरवाजा सड़क पर खुलता है। सड़क रास्ता 30-35 फुट है, जिसमें फायर ब्रिगेड आसानी से पहुंच सकती है, पास में ही स्टेशन रोड़ है, जो 40-50 फुट चौड़ी है। दीपावली के समय नो-एन्ट्री होने से रास्ता खुला रहता है। निरीक्षण दल की रिपोर्ट अनुसार फायर ब्रिगेड उक्त दुकान तक पहुंच सकती है। अपीलान्त दुकान के आस-पास अन्य ज्वलनशील कैरोसीन, पेट्रोल आदि की दुकान भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना परिस्थितियों की जांच किये अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिध्दान्तों पर आधारित नहीं है। उपरोक्त स्थितियों के अनुसार अपीलान्त का एक्सप्लोसिव लाइसेंस सं. 1/2008 बहाल करने योग्य है। विकल्प में त्यौहार एवम् उत्सव के समय अपीलान्त का अस्थाई लाइसेंस बहाल किया जा सकता है।
 5. राज्य पक्ष की ओर से श्री चतुर्भुज शर्मा सहायक लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण दल ने अपीलार्थी के सट्टा बाजार, कोटगेट बीकानेर स्थित फायर वर्क्स दुकान का मौके पर निरीक्षण किया गया है। अपीलार्थी की दुकान तंग गली, भारी भीड़ वाले क्षेत्र में होने, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस मौके पर आसानी से नहीं पहुंचने इत्यादि कारणों से तथा बीकानेर फायर वर्क्स एसोसियेशन के साथ बैठक दिनांक 25.10.12 को बनी सहमति के अनुसार अनुज्ञा पत्र वर्तमान स्थान से नये स्थान पर शिफ्ट करने हेतु दिनांक 29.10.12 को सांय 5.00 बजे तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा लोक सुरक्षा एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 पारित कर अपीलान्त का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे।



संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. उभय पक्ष की बहस की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 18-10-2012 जारी कर उसमें अनुज्ञा पत्र जिस स्थान पर दिया गया वह स्थान वर्तमान में घनी आबादी तथा अत्याधिक भीड़भाड़ वाला होने तथा उक्त स्थान पर आगजनी या हादसा घटित हो जाता है तो मौके पर फायर ब्रिगेड भी आसानी से नहीं पहुंच पायेगी इत्यादि चार बिन्दुओं का विवरण देते हुए वर्तमान स्थान पर अनुज्ञा पत्र जारी रखना उचित प्रतीत नहीं होता है, का उल्लेख करते हुए 3 दिवस में प्रत्युत्तर चाहा गया। जिसका प्रत्युत्तर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23-10-2012 को प्रस्तुत किया गया परन्तु अपने जवाब में स्थान परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं किया । तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा फायर वर्क्स एसोसियेशन के साथ दिनांक 25.10.2012 को एक मीटिंग की गयी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी थी कि जो दुकान अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थान पर है तथा जहां पर फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस मौके पर आसानी से नहीं पहुंच सकती है, ऐसे क्षेत्र में स्थित अनुज्ञा पत्रों को वर्तमान स्थान से नये स्थान पर शिफ्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.12 को सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। परन्तु उक्त निर्णयानुसार अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञा पत्र के स्थान परिवर्तन के संबंध में दिनांक 29-10-2012 तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण लोक सुरक्षा तथा जनहित को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान परिस्थिति एवं वर्तमान स्थान पर फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं. 1/2008 को जारी रखना उचित नहीं समझते हुये विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 ई एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के तहत अपीलान्ट का उक्त अनुज्ञा पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-10-2012 द्वारा निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं० 43 पर आतिशबाजी (पटाखा) अनुज्ञा पत्र की सघन जांच रिपोर्ट जो उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत की गयी, के अनुसार अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र की दुकान रेल्वे क्रॉसिंग से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, अपीलान्ट की दुकान भीड़भाड़ भरे बाजार में स्थित है, 50 मीटर पास में ट्रान्सफारमर है, पास में हलवाई की दुकान है, 10 मीटर पास कपड़े की दुकान स्थित है । जांच अधिकारी ने विशेष बिन्दु में फायर वर्क्स की दुकान भीड़भाड़ भरे बाजार से हटाई जानी उचित बताई है । प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पर्याप्त समयावधि में स्थान परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं दिया गया है एवम् ना ही अपील के दौरान इस न्यायालय में फायर वर्क्स स्थान परिवर्तन का कोई विकल्प दिया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में विकल्प के तौर पर त्यौहार एवं उत्सव के समय अपीलान्ट का अस्थाई लाइसेंस बहाल हेतु निवेदन किया है, जो भीड़भाड़ भरा


संभारित आयुक्त
बीकानेर

क्षेत्र होने से स्वीकार योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में हम जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है ।

7. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त,
बीकानेर